न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 38/2022 G.C.M.S. No. 2022/240 दर्ज दिनांक : 09.06.2022

अपीलार्थी:

1. पुनाराम पुत्र किसनाराम, उम्र वयस्क, जाति सिरवी, निवासी ईसाली, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. शेषाराम पुत्र अमाराम, उम्र 53 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी गुडा मौखमसिंह, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर पाली।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली।
4. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मारवाड़ जंक्शन।
5. तहसीलदार भूमिधारी मारवाड़ जंक्शन।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2014 बअनवान शेषाराम बनाम सरकार वगैरह में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री अर्जुन कुमार राठौड़, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री किशन सोनी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
3. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 5
4. शेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2014 बअनवान शेषाराम बनाम सरकार वगैरह में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि योग्य अधिन न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है कि योग्य अधिन न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को जानबूझकर अनदेखा कर अपीलार्थी की खातेदारी आराजीयात में पहुंच का एकमात्र मार्ग खसरा नम्बर 211 रकबा 5 बीघा गैरमुमकीन सडक की भूमि वादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की खातेदारी घोषित करने बाबत् जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

गई हैं कि खसरा नम्बर 211 जो गै. मु. सडक है वह अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 205, 206 व 208 से चिपती स्थित हैं। जिसमें से होकर अपीलार्थी कदीम से अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। जो तथ्य अपीलार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर योग्य अधिन न्यायालय के समक्ष प्रकट किये परन्तु योग्य अधिन न्यायालय ने बिना कोई कारण एवं आधार दर्ज किये अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया तथा पुराने खसरा नम्बर 125 में से वादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के पिता को आवंटित भूमि नये खसरा नम्बर 221 वादी/रेस्पोंडेण्ट शेषाराम व उसके भाई घीसाराम की खातेदारी में होते हुये भी पुनः उसी आवंटन/पट्टा के आधार पर नये खसरा नम्बर 211 में से रकबा 5 बीघा भूमि मिलीभगत एवं मिलावट कर वादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 ने अपनी खातेदारी घोषित करवा दी तथा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की आड में अपीलार्थी की आराजीयात के आने–जाने के एकमात्र मार्ग खसरा नम्बर 211 को अवरूद्ध करने पर आमादा है। जिस कारण अपीलार्थी जैर अपील निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार होने से यह अपील अनुमति के साथ प्रस्तुत करता है। राजस्व अधिकारियों द्वारा जानबूझकर मिलीभगत एवं मिलावट कर खसरा नम्बर 125 में से वादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के पिता को किये गये एक आवंटन आदेश के आधार पर पूर्व में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात होकर वादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व उसके भाई घीसाराम के नाम खातेदारी में दर्ज होते हुए भी पुनः उसी आवंटन आदेश/पट्टा के आधार पर खसरा नम्बर 211 की भूमि वादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की खातेदारी घोषित करवा दी है। जो कि विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के आवेदन के साथ अंदर म्याद प्रस्तुत की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2. अपीलांट प्रार्थी द्वारा धारा 96 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईसाली के खसरा संख्या 211 की भूमि गैर मुमकिन सड़क है। जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 205, 206 व 208 से चिपती स्थित हैं। जिसमें से होकर अपीलार्थी कदीम से अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। जो तथ्य अपीलार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर योग्य अधिन न्यायालय के समक्ष प्रकट किये परन्तु योग्य अधिन न्यायालय ने बिना कोई कारण एवं आधार दर्ज किये अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया तथा पुराने खसरा नम्बर 125 में से वादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के पिता को आवंटित भूमि नये खसरा नम्बर 221 वादी/रेस्पोंडेण्ट शेषाराम व उसके भाई घीसाराम की खातेदारी में होते हुये भी पुनः उसी आवंटन/पट्टा के आधार पर नये खसरा नम्बर 211 में से रकबा 5 बीघा भूमि मिलीभगत एवं मिलावट कर वादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 ने अपनी खातेदारी घोषित करवा दी तथा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की आड में अपीलार्थी की आराजीयात के आने–जाने के एकमात्र मार्ग खसरा नम्बर 211 को अवरूद्ध करने पर आमादा है। जिस कारण अपीलार्थी जैर अपील निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार होने से यह अपील अनुमति के साथ प्रस्तुत करता है।

3. हमारे विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा ग्राम ईसाली के खसरा संख्या 211 जो भू–अभिलेख अनुसार पी.डब्ल्यू.डी. के अधिन सड़कें अर्थात खातेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग व किस्म गैर मुमकिन सड़क है, में से 5 बीघा भूमि पर वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार घोषित किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आराजी गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता से संबंधित है। जिसमें सार्वजनिक हित निहित है तथा अपीलांट की आराजी उक्त सार्वजनिक रास्ता भूमि के पास स्थित है। जहां से अपीलांट सहित अन्य खातेदारान द्वारा आवागमन किया जाना जाहिर है। जिससे अपीलांट प्रथमदृष्टया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित व प्रभावित पक्ष है। अतः अपीलांट को सुना जाकर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना विधिसम्मत होगा। लिहाजा, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 5 के विरूद्ध ग्राम ईसाली के वर्तमान खसरा संख्या 211 जो पुराना खसरा संख्या 120 व 125 से निर्मित होने, पुराना खसरा संख्या 125 में 7 बीघा भूमि वादी के पिता अमरा पुत्र कसना को आवंटित होने तथा वादी के पिता को पट्टा गैर खातेदार जारी होने, आराजी पर वादी का कब्जा होने, लेकिन सहवन से संपूर्ण भूमि सा.नि.वि. के खाते में दर्ज कर देने के आधार पर खसरा संख्या 211 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रकबा 5 बीघा भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 22.04.2014 को वादपत्र दर्ज किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी जवाब हेतु नियत रही। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अंकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त होने का अंकन नहीं हैं एवं न ही प्रतिवादी का जवाबदावा बंद किए जाने का कोई अंकन है। लेकिन इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली आदेशिका दिनांक 30.09.2015 को कायमी तनकीयात हेतु नियत की गई। आदेशिका में तनकीयात कायम किए जाने, उसे विवेचित कर शामिल पत्रावली किए जाने का कोई अंकन नहीं हैं तथा पत्रावली आदेशिका दिनांक 08.03.2017 के अंकन अनुसार साक्ष्य वादी में नियत की गई तथा आदेशिका दिनांक 09.03.2017 के अंकन अनुसार वादी साक्ष्य पूर्ण कर बंद करते हुए प्रतिवादी साक्ष्य में पत्रावली दिनांक 16.03.2017 को नियत की गई तथा आदेशिका दिनांक 02.02.2018 के अंकन अनुसार प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 19.12.2018 के अंकन अनुसार तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन से वादग्रस्त अराजी की मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। लेकिन पश्चातवर्ती आदेशिका में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने व शामिल पत्रावली किये जाने का अंकन नहीं हैं। आदेशिका दिनांक 05.05.2022 के अंकन अनुसार वादपत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सा.नि.वि. की ओर से सहायक अभियंता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर खसरा संख्या 211 रकबा 4.9321 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारी दर्ज होने से वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने व बिनायदावा के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं होने के कथन के साथ वादपत्र का खण्डन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत कथित जवाबदावा के अवलोकन से स्पष्ट है कि जवाबदावा विहित प्रारूप में नहीं हैं एवं जवाबदावा नायब तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित व प्रस्तुत किया गया। जबकि प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन की ओर से जवाबदावा अपेक्षित था।

6. पत्रावली पर उपलब्ध वादी गवाह के बयानात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी गवाहों से अधिवक्ता प्रतिवादी/पैरोकार सरकार द्वारा जिरह नहीं की गई। बल्कि वादी अधिवक्ता द्वारा ही वादी गवाह से जिरह कर ली गई। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना उक्त विचारण कार्यवाही को संपादित कर दिया गया। जबकि वादपत्रों में साक्ष्य व गवाहों से जिरह के संबंध में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वादी द्वारा गवाहों की सूची, शपथ–पत्र आदि प्रतिवादी अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई जाएगी तथा गवाह को न्यायालय द्वारा शपथ दिलाई जाकर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी गवाह से जिरह की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाएगी। हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया। अतः विचारण प्रक्रिया दूषित होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दोषपूर्ण है।

7. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित 5 विवाद्यक कायम किए गए:–

1. विवाद्यक संख्या 1 – आया वादी को पुराना खसरा संख्या 125 रकबा 7 बीघा मौजा ईसाली आवंटन/पट्टा नियमन किया गया तथा गैर–खातेदारी अमा पुत्र किशना था?.....जिम्मे वादी।

यह विवाद्यक वादी के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक वादी के बयान, प्रदर्श 5 आवंटन पट्टा तथा प्रदर्श 7 सनद फीस व लगान रसीदे प्रदर्श 8 व 9 के आधार पर पुराने खसरा संख्या 125 में 7 बीघा भूमि वादी के पिता अमाराम पुत्र कसना को आवंटित होना मानते हुए यह विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज जीर्ण–शीर्ण है तथा इस पर किसी भी सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर आदि नहीं हैं तथा न ही आवंटन/नियमन आदेश क्रमांक या दिनांक आदि अंकित है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा उक्त दस्तावेज से वादी के पिता को भूमि आवंटित होना साबित नहीं होता है। इसी प्रकार प्रदर्श 7, 8 व 9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज न तो असल दस्तावेज है एवं न ही प्रमाणित प्रतिलिपि है। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों दस्तावेज साक्ष्य में रूप में ग्राह्य नहीं हैं। उक्त तीनों दस्तावेज में अंकित राशि में से प्रदर्श 7 बतौर जुर्माना के लिए जारी मांग पत्र है। जिसे सनद फीस नहीं कहा जा सकता। अतः उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में साबित नहीं होता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसे वादी के पक्ष में साबित होना मानकर वस्तुतः कानूनन भूल की हैं। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत को अपास्त करते हुए इसे वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. विवाद्यक संख्या 2 – आया ईसाली के पुराने खसरा संख्या 125 रकबा सात बीघा का नया खसरा संख्या 211 रकबा 5 बीघा नया बना ?.....जिम्मे वादी।

यह विवाद्यक वादी के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खसरा मिलान प्रदर्श 12 जमाबंदी संवत 2010 से 2019 के आधार पर वादी के पक्ष में साबित माना है। प्रदर्श 12 मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि गत खसरा संख्या 120, 121, 108, 123 व 125 से वर्तमान खसरा संख्या 211 गैर मुमकिन सड़क निर्मित हुआ। गत खसरा नंबरान की आराजी की किस्म भी गैर मुमकिन थीं तथा भू–प्रबंध पश्चात भी भूमि वर्गीकरण गैर मुमकिन ही दर्ज किया गया है। अतः स्पष्ट है कि नवीन खसरा संख्या 211 केवल पुराने खसरा संख्या 125 की आराजी से ही निर्मित नहीं हुआ। बल्कि पुराने खसरा संख्या 120, 121, 108, 123 व 125 की आराजी को मिलाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 211 सृजित किया गया। अतः उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजात का गलत अर्थान्वयन करते हुए उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में साबित मानने में भूल की हैं। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत को अपास्त मानते हुए इसे वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. विवाद्यक संख्या 3 – आया प्रतिवादी पी.डब्ल्यू.डी. ने उक्त भूमि के नाम दर्ज विधिविरूद्ध बिना अवाप्ति के ली गई ?..... जिम्मे वादी।

यह विवाद्यक वादी के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्श 5 के आधार पर वादस्थ आराजी वादी के पिता को आवंटित होने एवं वादी या उसके पिता को मुआवजा दिए बिना इसे सड़क सीमा में दर्ज किया जाना मानते हुए उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में साबित माना। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो विवाद्यक संख्या 1 के विनिश्चय अनुसार वादी के पिता को वादस्थ आराजी आवंटित होना बखूबी साबित नहीं हैं तथा कथित प्रदर्श 5 व 5ए साक्ष्य के रूप में ग्राह्य दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है तथा उक्त दस्तावेजात पर आवंटन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम, आदेश क्रमांक का कोई अंकन नहीं हैं। साथ ही उक्त आराजी प्रथम भूप्रबंध से गैर मुमकिन किस्म की आराजी रही हैं। जो नाकाबिल काश्त है तथा आवंटन के लिए योग्य भूमि ही नहीं हैं। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित करने में कानूनन भूल की हैं। लिहाजा, उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत को अपास्त करते हुए यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

4. विवाद्यक संख्या 4 – आया वादी का उक्त खसरा संख्या 211 में सड़क सीमा के 40 मीटर सड़क के मध्य बिंदु से छोड़कर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं तो पी.डब्ल्यू.डी को आपत्ति नहीं हैं ?..... जिम्मे प्रतिवादी।

उक्त विवाद्यक प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्श 14, 15 व 16 के आधार पर उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित किया गया। प्रदर्श 14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक अभियंता सा.नि.वि जोजावर द्वारा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. को प्रेषित पत्र दिनांक 20.07.2016 में अंकन है कि "आई.आर.सी. के निर्देशानुसार सड़क के मध्य से 40 मीटर या उपलब्ध सरकारी जमीन दोनों में से जो भी अधिक हों, छोड़कर उक्त खसरा के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाती हैं। तो इस कार्यालय कोई एतराज नहीं हैं।" अतः स्पष्ट है कि सा.नि.वि. द्वारा खसरा संख्या 211 में वादी को खातेदारी दिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जाने बाबत कोई अनापत्ति जारी नहीं की गई। चूंकि खसरा संख्या 211 सा.नि.वि. के नाम दर्ज खातेदारी आराजी हैं। अतः इस संबंध में अनापत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य का गलत अर्थान्वयन किया गया है। अतः उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होता है। लिहाजा, इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत को अपास्त करते हुए इसे वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

5. विवाद्यक संख्या 5 – आया वादी को मौजा ईसाली के खसरा संख्या 211 सड़क के मध्य बिंदु से 40 मीटर छोड़कर भूमि का वादी के पिता को आवंटनशुदा भूमि थी वादी को खातेदार घोषित किया जाये जो पी.डब्ल्यू.डी के खाते से कम कर वादी को खातेदार घोषित किया जावें ?................ जिम्मे वादी।

उक्त विवाद्यक वादी के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित किया गया। हमारे विनम्र मत में पूर्ववर्ती विवाद्यक संख्या 1 से 4 के विवेचन एवं निर्णयन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रथम भूप्रबंध से गैर मुमकिन अर्थात नाकाबिल काश्त भूमि रही हैं तथा वर्तमान खसरा संख्या 211 पूर्ववर्ती खसरा संख्या 120, 121, 108, 123 व 125 की आराजी को मिलाकर खसरा संख्या 211 सृजित किया गया, जिसकी किस्म गैर मुमकिन सड़क व सा.नि.वि की खातेदारी में दर्ज है। वादी के पिता के पक्ष में खसरा संख्या 211 की आराजी में आवंटन होना साबित नहीं हैं। अतः वादी खसरा संख्या 211 की आराजी के किसी भी भाग पर खातेदारी अधिकार घोषित करवाने का कानूनन अधिकारी नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक प्रस्तुत साक्ष्य एवं संगत विधिक प्रावधानों की समुचित विवेचना किए बिना गलत रूप से वादी के पक्ष में साबित मानते हुए निर्णित किया है। जिसे अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा वाद वादी बखूबी साबित नहीं होने एवं अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

28/2014 बअनवान शेषाराम बनाम सरकार वगैरह में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 अपास्त की जाती हैं। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आराजीयात खसरा संख्या 211 मौजा ईसाली के भू-अभिलेख की अपास्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 के ठीक पूर्व की मूल स्थिति बहाल करें। इस निर्णय से अपीलाधीन राजकीय आराजीयात में अपीलांट के पक्ष में कोई विशिष्ट हक व अधिकार सृजित या निहित नहीं होंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली